

नॉन स्लम के 2240 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों में से 484 हितग्राहियों ने फ्लेट हेतु जमा कराये 2.41 करोड

रतलाम 06 अप्रैल । नॉन स्लम क्षेत्र के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट हेतु पूर्व में आमंत्रित आवेदनों में से पात्र पाये गये 2240 हितग्राहियों से पंजीयन राशि जमा कराये जाने हेतु नगर पालिक निगम द्वारा संबंधितों को सूचना—पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, समाचार जारी कर व एलान (उद्घोषणा) करवाये जाने के तहत 5 व 6 अप्रैल 23 हितग्राहियों ने हितग्राही का संपूर्ण अंशदान 3,50,000 करवाते हुए 80.50 लाख व 461 हितग्राहियों द्वारा हितग्राही अंशदान का 10 प्रतिशत 35,000 जमा करवाते हुए 1,61,35,000 की राशि जमा करवाई इस प्रकार कुल 2.41 करोड़ की राशि जमा कराई।

नॉन स्लम के पात्र हितग्राही अंशदान की संपूर्ण राशि रुपये 3.50 लाख रुपये ऑन लाईन व ऑफ लाईन पंजाब नेशनल बैंक स्टेशन रोड पर प्रातः 10 से सांय 4:30 के मध्य जमा करा सकते हैं। 2240 हितग्राहियों में से 23 हितग्राहियों द्वारा अंशदान की संपूर्ण राशि व 461 हितग्राहियों द्वारा अंशदान का 10 प्रतिशत 35,000/— की राशि जमा कराई गई है शेष 90 प्रतिशत राशि 3,15,000/— तत्काल जमा कराये जाने पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाकर रजिस्ट्री करवाई जायेगी जिसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा।

कचरा संग्रहण हेतु 5 ट्रीप नहीं लगने पर झोन प्रभारी, दरोगा, ड्रायवर व हैल्परों का कटेगा 1—1 दिवस का वेतन

रतलाम 6 अप्रैल । कचरा संग्रहण वाहनों से घर—घर से कचरा संग्रहण हेतु प्रतिदिन 5 ट्रीप नहीं लगने पर संबंधित झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों का 1—1 दिवस का वेतन काटे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, व कर्मशाला अधीक्षक श्री मोहम्मद हनीफ शेख को दिये।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कर्तव्य स्थल पर ड्रेस कोड में रहें उपस्थित

रतलाम 6 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम कार्यालय व मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कर्तव्य स्थल पर अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें अन्यथा विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

18 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 6 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति का चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 8 व दोपहर में 10 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

6 अप्रैल बुधवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में लोकेश-प्रहलाद, शांतिलाल-बाबुलाल, अजय-विनोद, झोन क्रमांक 2 में सुगनाबाई-शंकर, राहूल-राजू, कन्हैयालाल-कमल, दीपक-राजू, झोन क्रमांक 3 में गोपाल-दिलीप, दोपहर की शिफ्ट में सुनील-सोहनलाल, झोन क्रमांक 2 में श्यामाबाई पति कन्हैया, मंजुबाई पति राधाकिशन, लताबाई-संजय, झोन क्रमांक 3 में महेश-रमेश, झोन क्रमांक 4 में मिनाक्षी-योगश, सुनील-मनोज, सुनिता पति शिव, रामकन्या पति सोहन व रानीबाई पति विनय इस तरह 18 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

विशाल मेगा मार्ट पर 20000 व अजमेरी ऑटो मोबाईल पर 5000 का जुर्माना

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 6 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 6 अप्रैल बुधवार को 13 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विशाल मेगा मार्ट पर 20000, अजमेरी ऑटो मोबाईल पर 5000, लक्की कार डेकोर व राज कार डेकोर पर 1000—1000, अशोक कुमावत, बरखादेवी, सत्यनारायण, कै.के. पोरवाल पर 500—500, सुनील पोरवाल, मोजराज गुरनानी पर 250—250, तेजसिंह, जैन रेस्टोरेंट पर 200—200 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 6 अप्रैल । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहो, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ—स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमें सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 6 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत को सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति

के विपरित बन अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 6 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कच्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 6 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 6 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 6 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रुपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रुपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 6 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटान व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 6 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/06.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.